कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड राज्य

Fax No. 2780290
Website- www.res.uk.gov.in

PH. No. 2781556, 2780290
gmail:hod.res.uk@gmail.com

पत्रांक 1993 /ग्रा0नि0वि0/निर्देश/2023–24 दिनांक 12 अक्टूबर–2023

"कार्यालय ज्ञांप"

शासनादेश संख्या– 149101/XXVII(7)E-20109/2022 दिनांक 25.08.2023 द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) में संशोधन करते हुए विवरण पत्र–3 (संलग्न) निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय हेतु निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार अनुमानों/अनुपूरक अनुमानों/पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति परिसीमाओं को विलोपित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात प्राविधिक स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है तथा उपरोक्त संशोधित शासनादेश की अभ्युक्ति (विवरण प्रपत्र–3 कॉलम–6) के अनुसार **"यदि किसी निर्माण कार्य में प्राविधिक स्वीकृति की आवश्यकता है तो विभाग द्वारा प्राविधिक स्वीकृति की कार्यवाही आगणन की टी0ए0सी0 से पूर्व सम्पन्न कर ली जायेगी, इस हेतु विभागाध्यक्ष अपने विभाग के अन्तर्गत सीमाओं/प्रकिया का निर्धारण कर सकते है, अन्यथा की स्थिति में विभाग प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे कि कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् प्राविधिक स्वीकृति (टी0एस0) की आवश्यकता नही है"**। इस सम्बन्ध में निर्माण कार्यों में तकनीकी स्वीकृति की सीमाओं/प्रकिया के निर्धारण हेतु इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञांप संख्या–1877 दिनांक 29.09.2023 से गठित समिति द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार आगणनों में प्राविधिक स्वीकृति (टी0एस0) की परिसीमायें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र0 सं0	किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमाऐं	तकनीकी स्वीकृति जारी किये जाने हेतु प्रतिबन्ध
1	2	3	4
1	मुख्य अभियन्ता	पूर्ण अधिकार	1–ऐसे कार्य जिनमें टी0ए0सी0 अनुमोदन प्राप्त न की गई हो। 2–ऐसे कार्य जो दिनांक 25.08.2023 से पूर्व स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये हो। 3–ऐसे कार्य जिनमें यह विभाग मात्र तकनीकी अनुश्रवण करता हो। 4–जिला स्तर से सीधे अधिशासी अभियन्ताओं को कार्य आवंटन किया जाता हो एवं जिनमें प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो।
2	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/वि0/यॉ0)	रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़) की सीमा तक।	
3	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	रू0 1.50 करोड़ (रू0 एक करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	
4	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0)	रू0 1.50 करोड़ (रू0 एक करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	

शासन द्वारा विभाग हेतु टी0ए0सी0 की व्यवस्था भिन्न–भिन्न स्तर पर किये जाने के उपरान्त यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
//ई–मेल द्वारा//

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), ग्रामीण निर्माण विभाग, निकट आकाश रिसोर्ट, स्थित (भीमताल), नैनीताल।
3– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4– समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5– श्रीमती प्रियंका चौहान, कनिष्ठ सहायक को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

12/10/23

मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner